कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

टैगोर छात्रावास, क्रमांक-टी2, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

☎ 2660441-0755 ✉ dtehelpcenter@mponline.gov.in | dte4.academic@mp.gov.in

" सार्वजनिक सूचना "

(बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता मानदण्ड में छूट सत्र 2020-21)

काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर के गजट नोटिफिकेशन संस्था F. No-CA/193/2020/MSAE (विनियम) प्रकाशन दिनांक 07 अगस्त, 2020 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 5 वर्षीय बी.आर्क. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की पात्रता में एक बार छूट दी गई है। तदनुसार बी.आर्क. पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अर्हता/पात्रता निम्नानुसार होगी:-

1. कोई भी अभ्यर्थी जिसने 10+2 परीक्षा प्रणाली में भौतिकी, रसायनशास्त्र तथा गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण न की हो अथवा 10+3 डिप्लोमा परीक्षा गणित अनिवार्य विषय के साथ उत्तीर्ण न की हो, को वास्तुकला स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभिक्षमता परीक्षा, अर्थात् राष्ट्रीय अभिक्षमता परीक्षा अथवा संयुक्त दाखिला परीक्षा, उत्तीर्ण की हो तथा 10+2 परीक्षा प्रणाली में भौतिकी, रसायनशास्त्र तथा गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो अथवा 10+3 परीक्षा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो वे वास्तुकला स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के योग्य होंगे।

उपरोक्तानुसार अर्हता/पात्रता मानदण्डों को पूरा करने वाले सभी उम्मीदवार पोर्टल www.dte.mponline.gov.in पर प्रदर्शित की जाने वाली बी.आर्क. पाठ्यक्रम की काउंसलिंग में समय-सारणी अनुसार सम्मिलित हो सकेंगे।

नोट:- उपरोक्त छूट केवल शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए मान्य होगी।

(पी. नरहरि)
आई.ए.एस.
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश-भोपाल